स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रेस नोट संख्याः 87 दिनांक 20–03–2025

जनपद–आजमगढ़ में हुई लूट की घटना में विगत 09 वर्षो से फरार/वांछित रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित अभियुक्त दुर्गेश कुमार उर्फ राधेश्याम उर्फ दीपक कुमार थाना क्षेत्र डिविजन नं0 08, ट्रान्सपोर्ट नगर, जालंधर (पंजाब) से गिरफ्तार।

दिनांक 19–03–2025 को एस0टी0एफ0 को विगत 09 वर्ष पूर्व थाना सरायमीर, जनपद–आजमगढ़ में पंजीकृत मु0अ0सं0 206/2016 धारा 392, 411 भादवि में वांछित रूपये 50,000/–का पुरस्कार घोषित अभियुक्त दुर्गेश कुमार उर्फ राधेश्याम को थाना क्षेत्र डिविजन नं0 08, ट्रान्सपोर्ट नगर, जालंधर (पंजाब) जनपद लखनऊ से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–

1– दुर्गेश कुमार उर्फ राधेश्याम उर्फ दीपक कुमार उर्फ दारू पुत्र शंकर राम निवासी पण्डित दिलीपराय पट्टी थाना सादात, जनपद गाजीपुर।

गिरफ्तारी का स्थान/दिनांकः–

परसुराम नगर, गौशाला गेट के सामने, थाना क्षेत्र डिविजन नं0 08, ट्रान्सपोर्ट नगर, जालंधर (पंजाब) दिनांक 19–03–2025 समयः 14.50 बजे।

विगत काफी दिनों से उत्तर प्रदेश के जनपदों में वांछित पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिये जाने की सूचनायें प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न टीमों/इकाईयों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके क्रम में श्री प्रमेश कुमार शुक्ल, पुलिस उपाधीक्षक एसटीएफ लखनऊ के पर्यवेक्षण में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान ज्ञात हुआ कि थाना सरायमीर, जनपद–आजमगढ़ में पंजीकृत मु0अ0सं0 206/2016 में वांछित रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित अभियुक्त दुर्गेश कुमार उर्फ राधेश्याम पंजाब में छिपकर रह रहा है। इस सूचना पर उ0नि0 जावेद आलम सिद्दीकी उ0नि0 चन्द्र प्रकाश मिश्र, मु0आ0 मृत्युन्जय सिंह, यशवन्त सिंह, मु0आ0 चालक नागेश मिश्र की टीम द्वारा परसुराम नगर, गौशाला गेट के सामने, थाना क्षेत्र डिविजन नं0 08, ट्रान्सपोर्ट नगर, जालंधर (पंजाब) से वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया।

पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि वह अपने साथियों के साथ मिलकर जनपद आजमगढ़ के विभिन्न थाना क्षेत्रों में लूट की घटनाओं को अंजाम देता था। अपने गिरोह के सदस्यों के साथ मिलकर थाना क्षेत्र तरवॉ अन्तर्गत एक दुकान में लूट के लिए गया था जहॉ पर दुकानदार द्वारा विरोध करने पर उसको गोली मार दिया था, जिसमें बाद में उसकी मृत्यु हो गयी थी। इस घटना के उपरान्त स्थानीय पुलिस द्वारा मुठभेड़ के उपरान्त गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। जेल से छूटने के बाद अपने साथी शिवकुमार व दीपक के साथ मिलकर थाना क्षेत्र सरायमीर में एक व्यक्ति से लूट की घटना किया था। उक्त घटना में फरार चल रहा था जिसके गिरफ्तारी हेतु रू0 50 हजार का पुरस्कार घोषित किया गया था।

इसके विरूद्ध जनपद आजमगढ़ व जौनपुर में लूट एवं अन्य आधा दर्जन से अधिक अभियोग पंजीकृत है। इसके अन्य अपराधिक गतिविधियों के बारे में जानकारी की जा रही है।

<u>अभियुक्त दुर्गेश कुमार उर्फ राधेश्याम उर्फ दीपक कुमार</u> <u>का ज्ञात अपराधिक इतिहास निम्नवत हैः–</u>

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	48/16	394, 302, 411 भादवि	तरवॉ	आजमगढ़
2	**50/16**	**307, 34 भादवि**	**तरवॉ**	**आजमगढ़**
3	53/16	3/25 आर्म्स एक्ट	तरवॉ	आजमगढ़
4	146/16	394, 411 भादवि	देवगॉव	आजमगढ़
5	206/16	392, 411 भादवि	सरायमीर	आजमगढ़
6	70/17	392 भादवि	चन्दवक	जौनपुर
7	1465/17	174ए भादवि	चन्दवक	जौनपुर
8	7/21	174ए भादवि	सरायमीर	आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त को मा0 न्यायालय JMIC जालंधर, पंजाब द्वारा नियमानुसार स्वीकृत ट्रांजिट वारण्ट के माध्यम से जनपद आजमगढ़ लाया जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।